International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9, Issue 3, March - 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

समाजिक न्याय में दलितोंद्धार आन्दोलन की भूमिका

सुभाष चन्द्र **(शोधार्थी)**
महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर

भारत में सामाजिक व्यवस्था वर्ण एवं जाति आधारित है। यहाँ वर्ग संघर्ष के साथ–साथ जाति एवं वर्ण संघर्ष का लम्बा इतिहास रहा है। रूढ़िवादी लोग इस शोषणयुक्त एवं अलोकतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था को बनाये रखना चाहते है जबकि दूसरी ओर दलित वर्ग स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था का सृजन करना चाहता है, जिसके परिणामस्वरूप दलितोंद्धार आन्दोलन का उदय होता है।

भारत में दलितोंद्धार आन्दोलन दलित वर्ग के लिए राजनीतिक एवं सामाजिक पहचान दिलाने में ही सहायक नहीं हुआ है, बल्कि दलितो को मनोवैज्ञानिक रूप से सशक्तबनाने में भी सहायक हुआ है। दलित आन्दोलनों ने दलित वर्ग को आत्म–सम्मान एवं गौरव के साथ जीने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दलितोंद्धार आन्दोलन का संघर्ष सामाजिक स्तर के साथ–साथ राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्तर पर भी मुखर हुआ है। वर्तमान सरकार में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक कानून 1989 में फेरबदल करने का प्रयास किया गया, जिसके फलस्वरूप 2 अप्रेल 2018 को दलित वर्गद्वारा सम्पूर्ण भारत में चक्का जाम कर दिया और शासन–प्रशासन को सन्देश दिया की दलित वर्ग अब और अत्याचार सहन नहीं करेगा।

इस आन्दोलन ने वर्तमान भारतीय राजनीतिक पार्टियों को दलित समस्याओं पर सोचने के लिए अवश्य मजबूर कर दिया है। भविष्य की राजनीति इससे ही तय होने वाली है कि दलित हितों की कितनी सुरक्षा हो पाती है।

सामाजिक न्याय शब्द को कठोर प्रतियोगिता के विरूद्ध कमजोरों, वृद्धों, दीन–हीनों, महिलाओं, बच्चों और दलितों को राज्य द्वारा संरक्षण के अधिकार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सामाजिक न्याय एक विषमतामूलक समाज के सर्व समावेषी समाज के परिवर्तन में मार्गदर्शक का कार्य करता है। यह सभी वर्गों के लिए समान रूप से विकास की दशा तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। समाज के दबे, कुचले और उपेक्षित वर्ग को सामाजिक न्याय के द्वारा ही मुख्यधारा में लाने के प्रयास किये जाते है। भारत में एकता और स्थायित्व सुनिश्चित करने की दृष्टि से सामाजिक न्याय का अत्यधिक महत्व है।

समाजिक न्याय का उद्देश्य राज्य के सभी नागरिकों को सामाजिक समानता उपलब्ध कराना है। समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण हेतु व्यक्तिगत स्वतन्त्रता आवश्यक है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है और यहाँ सामाजिक न्याय का मुख्य उद्देश्य लैंगिक, जातिगत, नस्लीय एवं आर्थिक–सामाजिक भेदभाव के बिना सभी नागरिकों की मौलिक अधिकारों तक

पहुँच सुनिश्चित करना है। भारतीय संविधान कमजोर, पिछड़े एवं दलित वर्ग के हितों के लिए प्रतिबद्ध है।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9, Issue 3, March - 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

भारत में सामाजिक न्याय के प्रति जन जागृति धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आन्दोलनों से पैदा हुई। धार्मिक सुधार आन्दोलनों ने एक ओर पाखण्ड और दूसरी ओर जात–पाँत तथा अन्य मध्ययुगीन कुप्रथाओं के विरूद्ध संघर्ष का आह्वान किया। आधुनिकयुग में सामाजिक आन्दोलन का स्वरूप भले ही धार्मिक रहा हो, परन्तु इसकी प्रकृति लोकतान्त्रिक एवं उदारवादी रही है। इसने जाति एवं वर्ण पर आधारित असमानता के विरूद्ध स्वतन्त्रता तथा समानता का समर्थन किया है। इसके माध्यम से समाज में कमजोर, पिछड़े एवं दलित वर्गों के लिए ठोस पहल आरम्भ हुई। तात्पर्य यह है कि जैसे–जैसे आन्दोलन आगे बढ़ता गया धार्मिक एवं सामाजिक पहलू कमजोर पड़ने लगे और लौकिक एवं राजीतिक पक्ष मजबूत होते गये। भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए किये गये आन्दोलन का इतिहास डॉ भीमराव अम्बेडकर के योगदान का उल्लेख किये बिना अधुरा है। डॉ. अम्बेडकर ने सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष किया। अम्बेडकर ने कहा कि जिस दलित जाति मे मैं पैदा हुआ उसे मुक्ति दिलाना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है।

सामाजिक न्याय का आधार मूलतः भारतीय संविधान है, परन्तु उसको प्रभावी बनाने में नैतिक और धार्मिक तत्व भी महत्वपूर्ण माने जाते है। इसलिए डॉ. अम्बेडकर ने अपने सामाजिक न्याय के विचार को नैतिक एवं धार्मिक भाई–चारे की भावना से जोड़ा है। सामाजिक न्याय का सार तत्व भी यही है कि कमजोर एवं दलित वर्गों के हितों की सुरक्षा हर प्रकार से हो और सामाजिक असमानता दूर हो। इसके मार्ग में आने वाली जाति, अस्पृश्यता, रंगभेद, धर्म, जन्मभेद तथा लिंग भेद का निषेध हो।

संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉ. अम्बेडकर ने महिलाओं, दलितों एवं श्रमिकों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से संविधान में अनेक प्रावधान किये। कानून मंत्री के रूप में डॉ. अम्बेडकर ने हिन्दू कोड बिल की रचना की। संविधान का उद्देश्य अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना है। संविधान के भाग–3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ये अधिकार सभी नागरिकों को व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से लोकतंत्र के सर्वोत्तम लाभ तथा जीवन की आधारभूत स्वतंत्रताऐं प्रदान करते है, जो जीवन को विशिष्ट एवं सर्वोत्तम बनाती है। सामाजिक न्याय को प्राप्त करने में मौलिक अधिकारों का महत्वपूर्ण स्थान है।

दलित वर्ग की सामाजिक सुरक्षा और अस्मिता आज भी यक्ष प्रश्न है। इसी कारणसे दलित असुरक्षित महसूस कर रहे है और असुरक्षा का यह भाव आज देश व्यापी आन्दोलनों के रूप में दिखाई दे रहा है। आज भी दलित सबसे पिछड़े समुदाय में शामिल है।
सामाजिक, आर्थिक रूप से सदियों तक असमानता झेलते आये दलितों को समाज में सम्मान जनक स्थान पर पहुँचाना आसान नहीं है।

दलितोद्धार के लिए जरूरी है कि इन्हें पर्याप्त संसाधन और सामाजिक सुरक्षा दी जाए। दलित वर्ग के बच्चों को शिक्षा के तमाम अवसर मुहैया कराए जाएं। आरक्षण के लिए किए गए संवैधानिक प्रावधान से भी कुछ हद तक मदद मिली लेकिन पूरे दलित समाज

को लाभ नहीं मिल पाया। आज भी दलित वर्ग का संघर्ष मूलभूत जरूरतों और अस्मिता के लिए चल रहा है। समस्त दलित वर्ग आज जिस सामाजिक संघर्ष में उलझा हुआ है, उसका उद्देश्य धन, जाति या शक्ति जैसी केवल बाहरी ताकतों से लड़ना नहीं है। वह तो मानव मात्र के रूप में अपने को दास और पतित समझे जाने से मुक्ति पाना चाहता है। वह सामाजिक और मानसिक स्तर पर अपने को समान रूप से स्थापित करना चाहता है। आज की दलित राजनीति महज राजनीतिक शक्ति या धर्मान्तरण तक सीमित नहीं है। वह अपने संघर्ष को एक नए मुकाम पर ले जाना चाहती है।

आज का दलित आन्दोलन मानवीय गरिमा और सक्षमता पर अधिक बल देता दिखाई दे रहा है। ज्योतिराव फुले के समय में ब्राहामणवाद के विरोध में जुलूस निकालने वाले दलित अब समानता ओर गरिमा पर आधारित सामाजिक व्यवस्था चाहते है।

दलितोंद्धार आन्दोलन से ना केवल समतामूलक समाज की स्थापना हुई है, बल्कि सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाले तमाम आन्दोलनों को बल मिला है। दलित वर्ग आर्थिक विषमता का सबसे ज्यादा शिकार रहा है, जिसके कारण अपनी आवाज उठाने में असक्षम महसूस करते है। दलित वर्ग सदैव समाज के निचले पायदान पर रहा है। दलितोद्धार आन्दोलन का ही परिणाम है अब दलित वर्ग समझने लगा है कि देश में लोकतन्त्र तब तक स्थापित नहीं हो सकता जब तक व्यवस्था को संचालित करने वाली सभी संस्थाएं लोकतान्त्रिक ना हो जाएँ और प्रत्येक संस्था में हर वर्ग का समान रूप से प्रतिनिधित्व ना हो जाये। समान प्रतिनिधित्व से ही सामाजिक न्याय की स्थापना हो पायेगी।

दलित वर्ग को सामाजिक न्याय एवं समतामूलक समाज की स्थापना के लिए संगठित होकर आन्दोलन चलाने की आवश्यकता है।

सन्दर्भ

1. राकेश रंजन – सामाजिक न्याय की राजनीति ओर दलित आन्दोलन।

2. राम पुनियानी – सामाजिक न्याय एक सचित्र परिचय।

3. के. एल. भाटिया – सोशल जस्टिस ऑफ अम्बेडकर, नेशनल बुक ट्रस्ट, नईदिल्ली।

4. रामगोपाल सिंह – डॉ. अम्बेडकर सामाजिक न्याय एवं परिवर्तन, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली।

5. आर. जी. सिंह – सामाजिक न्याय एवं दलित संघर्ष, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर (2006)।

6. डॉ. डी. आर. जाटव – सामाजिक न्याय का सिद्धान्त, साहित्य सदन, जयपुर,1993।

7. अजय कुमार – दलित आन्दोलनः अधिनस्थों के आन्दोलन की समीक्षा।

8. मोहनदास नेमिशराय – भारतीय दलित आन्दोलन का इतिहास।

9. मानचन्द खण्डेला – दलित अधिकार एवं व्यवहार, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर।

10.शिवचरण चैड़वाल – दलित चेतना का उदय एवं विकास, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर।